झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।
आम नीलामी सूचना।

सर्व साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लातेहार वन प्रमण्डल के अंतर्गत राजसात वाहन (जहाँ है, जिस स्थिति में है) की बिक्री दिनांक–16.04.2026 के पूर्वाह्न 11:00 बजे से लातेहार वन प्रमण्डल के प्रमण्डलीय कार्यालय, लातेहार में आम नीलामी द्वारा की जायेगी। यदि निलामी तिथि को किसी कारणवश अवकाश या बंदी घोषित होता है तो उसके अगले कार्य दिवस को निलामी की तिथि तय मानी जायेगी। किसी भी व्यक्ति को यह आपत्ति हो कि आम निलामी सूचना में उल्लेखित वाहन के संबंध में सुनवाई किसी न्यायालय में विचाराधीन है तो वे संबंधित मामले में अपना दावा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से साक्ष्य हेतु दस्तावेज के साथ कार्यालय अवधि में लातेहार वन प्रमण्डल के प्रमण्डलीय कार्यालय में दिनांक 15.04.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक या उसके पूर्व समर्पित कर सकते हैं। यदि उक्त तिथि तक उल्लेखित राजसात वाहनों पर कोई दावा लातेहार वन प्रमण्डल के प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित नही किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उक्त राज्यसात वाहनों की आम निलामी द्वारा बिक्री करने पर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नही है। नीलामी हेतु राजसात वाहनों की सूची, क्रमानुसार विवरणी निम्नांकित है :–

क0 सं0	वाहन का प्रकार	वाहन का निबंधन सं0/ चेचीस सं0/ इंजन सं0	वाहन जहाँ स्थित है
01	जेसीबी	Chassis No.-15J3311, Eng. No.-PUNRG5EA1014	बालूमाथ प्रक्षेत्र कार्यालय
02	महिन्द्रा ट्रैक्टर, ट्रेलर	Model No. 265DI, SR No.- NGN3213CB	बालूमाथ प्रक्षेत्र कार्यालय
03	पियागो टेम्पू	Reg. No.- JH-03AL-1744, Eng. No.-S3C9241794, Chassis No.-MBX0008WB2C276606	लातेहार प्रक्षेत्र कार्यालय
04	टाटा मिनी ट्रक	Reg. No.- JH-01CW-0160	चंदवा प्रक्षेत्र कार्यालय

नोट :–

1. विस्तृत सूचना के लिए कार्य दिवस में कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
2. आम निलामी की शर्तें, वाहनों की सूची https://latehar.nic.in/ एवं https://forest.jharkhand.gov.in/ के website तथा कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।
28.03.26

आम नीलामी की शर्ते :–

01. आम नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म/प्रतिष्ठान का **GST** निबंधन होना अनिवार्य होगा।

02. आम निलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को टेम्पू हेतु **10000/– (दस हजार)**, चार पहिया वाहन हेतु **20000/– (बीस हजार)**, छः पहिया वाहन एवं जे0सी0बी0 हेतु **30000/– (तीस हजार)** रूपये, की अग्रधन की राशि **(Gate Money)** नकद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार के पदनाम से एवं लातेहार जिला स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में भुगतेय हो, के माध्यम से जमा करना होगा।

03. सफल क्रेता को प्रत्येक वाहन का क्रय मूल्य का **25 प्रतिशत** प्रतिभूति की राशि दिनांक– 18.04.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल के कार्यालय में जमा करना होगा।

04. प्रत्येक वाहन के लिए सफल क्रेता को आम नीलामी की तिथि से **15 दिनों के अंदर** क्रय मूल्य की पूरी राशि, आयकर एवं **GST** अधिनियम के तहत् अनुमान्य कर का भुगतान करना होगा तथा **GST** अधिनियम के तहत् देय कर का भुगतान रिभर्स चार्ज मैकेनिज्म **(R.C.M.)** के अंतर्गत करना होगा तथा चालान एवं रिटर्न की छायाप्रति प्रस्तुत करने के उपरान्त ही वाहन उठाव की अनुमति दी जायेगी।

05. सफल क्रेता को वाहन का उठाव (जो वाहन जहाँ है वहीं से) अपने खर्च पर करना होगा।

06. असफल क्रेता को अग्रधन की राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जायेगी तथा सफल क्रेता का अग्रधन की राशि वाहन के क्रय मूल्य में समायोजित कर दी जायेगी।

07. आम नीलामी की तिथि, समय, स्थान आदि में परिवर्तन/रद्द इत्यादि करने का पूर्ण अधिकार वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल को सुरक्षित रहेगा।

08. सफल क्रेता, आम नीलामी की तिथि से **15 दिनों के अंदर** वाहन का क्रय मूल्य की राशि, आयकर एवं **G.S.T.** अधिनियम के तहत् देय कर का भुगतान नहीं करता है तो उनके द्वारा जमा किया गया अग्रधन एवं प्रतिभूति की राशि बिना कारण बताये हुए झारखण्ड राज्य सरकार के पक्ष में **Forfeit** कर ली जाएगी।

09. वाहन क्रय के बाद, वाहन का निबंधन एवं अन्य नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई की जिम्मेवारी क्रेता की होगी।

10. इच्छुक व्यक्ति/फर्म/प्रतिष्ठान उपर्युक्त वाहनों को (जो जहाँ है, जिस स्थिति में है) किसी भी दिन कार्यालय अवधि में उनके रखे गये स्थान पर देख सकते हैं।

11. विवाद होने की स्थिति में उसका अंतिम निपटारा स्थल लातेहार रहेगा।

27/3/26

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।

28.03.26